HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 7694/2026
CNR: RJHC010571452026
URN: CRLMB / 16918U / 2026

Shahjad Alias Habib Khan S/o Abdul Hamid, Aged About 22 Years, R/o Bapu Colony Opposite New Kohinoor Chopasni Road Jodhpur At Presetnt R/o Street No1 Baldev Nagr Balaji Colony Police Station ,dev Nagar Jodhpur (At Present Lodged In Central Jail Jodhpur)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Bhawani Singh Mr. Mahendra Singh Patidar
For Respondent(s)	:	Mr. Prem Singh Panwar, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

08/07/2026

01. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस पुलिसथाना **सदर बाजार, जोधपुर जिला जोधपुर सिटी पूर्व** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **66/2026,** अपराध अन्तर्गत धारा **303(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता** के मामले में प्रस्तुत हुआ है।

02. मैंने बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

03. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि इस मामले में आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध मोटरसाईकिल चोरी का आरोप है जो कि मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। विचारण में समय लगने की सम्भावना है। इन आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की।

04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध किया।

05. मैंने उपरोक्त तर्कों पर मनन किया, पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी/अभियुक्त मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय आरोप हेतु न्यायिक अभिरक्षा में होना बताया गया है। आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। विचारण में समय लगने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

06. बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना जुर्म की प्रकृति व परिस्थितियों में प्रार्थी/अभियुक्त को इस न्यायालय की राय में जमानत पर रिहा किया जाना उचित प्रतीत होता है।

07. परिणामतः जमानत आवेदन स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी/अभियुक्त **शहजाद उर्फ हबीब खान पुत्र अब्दुल हमीद** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अधीनस्थ न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रूपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास–पचास हजार रूपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

36/SN Lohra/336